संख्या- 154 /2024/ 893/चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 20 मार्च, 2024

विषय:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-वाई०ए०एन०-17/2019 तरकुलहा देवी स्थान, गोरखपुर परिसर में शहीद बन्धु सिंह जी की 03 फिट आवक्ष मुद्रा में ब्रांज मूर्ति निर्माण की शेष 25 प्रतिशत धनराशि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 4901/सं0नि0-मूर्ति निर्माण/ 2019-20 दिनांक 04 मार्च, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-55/2021/1921/चार-2020 दिनांक 16 मार्च, 2021 द्वारा तरकुलहा देवी स्थान, गोरखपुर परिसर में शहीद बन्धु सिंह जी की 03 फिट आवक्ष मुद्रा में ब्रांज प्रतिमा के निर्माण हेतु रू0 1,17,725.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। तत्क्रम में शासनादेश संख्या-170/2021/1724/चार-2021 दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 द्वारा तरकुलहा देवी स्थान, गोरखपुर परिसर में शहीद बन्धु सिंह जी की 03 फिट आवक्ष मुद्रा में ब्रांज प्रतिमा के निर्माण हेतु निर्धारित धनराशि रू0 1,17,725.00 के शेष 60 प्रतिशत (तृतीय एवं अंतिम किश्त) के रूप में रू0 70,635.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके सापेक्ष 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में तरकुलहा देवी स्थान, गोरखपुर परिसर में शहीद बन्धु सिंह जी की 03 फिट आवक्ष मुद्रा में ब्रांज प्रतिमा के निर्माण हेतु निर्धारित धनराशि रू0 1,17,725.00 की शेष 25 प्रतिशत धनराशि रू0 29,431.00 (रू0 उनतीस हजार चार सौ इकतीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) शासनादेश संख्या-55/2021/1921/चार-2020 दिनांक 16 मार्च, 2021 एवं शासनादेश संख्या-170/2021/1724/चार-2021 दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, संस्कृति का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, संस्कृति द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय का होगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति 106 संग्रहालय-09-महापुरूषों की मूर्तियों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य मद" के नामे डाला जायेगा।

4 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधिनित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 154 /2024 / 893 (1) /चार-2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।